CHAPTER - IX

MISCELLANEOUS

Section 20 : Application of provisions of Central Goods and Services Tax Act

Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of Central Goods and Services Tax Act relating to,—

(i) scope of supply;

(ii) composite supply and mixed supply;

(iii) time and value of supply;

(iv) input tax credit;

(v) registration;

(vi) tax invoice, credit and debit notes;

(vii) accounts and records;

(viii) returns, other than late fee;

(ix) payment of tax;

(x) tax deduction at source;

(xi) collection of tax at source;

(xii) assessment;

(xiii) refunds;

(xiv) audit;

(xv) inspection, search, seizure and arrest;

(xvi) demands and recovery;

(xvii) liability to pay in certain cases;

(xviii) advance ruling;

(xix) appeals and revision;

(xx) presumption as to documents;

(xxi) offences and penalties;

(xxii) job work;

(xxiii) electronic commerce;

(xxiv) transitional provisions; and

(xxv) miscellaneous provisions including the provisions relating to the imposition of interest and penalty,

shall, *mutatis mutandis*, apply, so far as may be, in relation to integrated tax as they apply in relation to central tax as if they are enacted under this Act:

Provided that in the case of tax deducted at source, the deductor shall deduct tax at the rate of two per cent. from the payment made or credited to the supplier:

Provided further that in the case of tax collected at source, the operator shall collect tax at such rate not exceeding two per cent, as may be notified on the recommendations of the Council, of the net value of taxable supplies:

Provided also that for the purposes of this Act, the value of a supply shall include any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier:

Provided also that in cases where the penalty is leviable under the Central Goods and Services Tax Act and the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, the penalty leviable under this Act shall be the sum total of the said penalties.

[1]**[Provided also that** where the appeal is to be filed before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal, the maximum amount payable shall be fifty crore rupees and one hundred crore rupees respectively.**]**

---

1 Proviso inserted by IGST (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 01/2019–Integrated Tax, dt. 29-01-2019.

अध्याय 9
प्रकीर्ण

धारा 20 : केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का लागू होना

इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को, जहां तक हो सके, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एकीकृत कर के सम्बन्ध में लागू होंगे, जैसे वे केन्द्रीय कर के सम्बन्ध में ऐसे लागू होते हैं, मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हैं,–

(i) पूर्ति का क्षेत्र;

(ii) सामूहिक पूर्ति और मिश्रित पूर्ति;

(iii) पूर्ति का समय और मूल्य;

(iv) इनपुट कर प्रत्यय;

(v) रजिस्ट्रीकरण;

(vi) कर बीजक, जमापत्र और नामे नोट;

(vii) लेखे और अभिलेख;

(viii) विलम्ब शुल्क से भिन्न विवरणी;

(ix) कर का संदाय;

(x) स्त्रोत पर कर की कटौती;

(xi) स्त्रोत पर कर का संग्रहण;

(xii) निर्धारण;

(xiii) प्रतिदाय;

(xiv) संपरीक्षा;

(xv) निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी;

(xvi) मांग और वसूली;

(xvii) कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व;

(xviii) अग्रिम विनिर्णय;

(xix) अपील और पुनरीक्षण;

(xx) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा;

(xxi) अपराध और शास्तियां;

(xxii) छूटपुट कार्य;

(xxiii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य;

(xxiv) संक्रमणकालीन उपबन्ध; और

(xxv) प्रकीर्ण उपबन्ध, जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति के अधिरोपण से सम्बन्धित उपबन्ध भी है:

परन्तु स्त्रोत पर कटौती किए गए कर की दशा में कटौतीकर्ता, पूर्तिकार को किए गए संदाय या जमा रकम से दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा :

परन्तु यह और कि स्त्रोत पर संगृहीत कर की दशा में, आपरेटर, कराधेय पूर्तियों के शुद्ध मूल्य के दो प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर कर संगृहीत करेगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए :

परन्तु यह भी की इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी पूर्ति के मूल्य के अन्तर्गत इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार भी होंगे, यदि वे पूर्तिकार द्वारा अलग से प्रभारित किए गए है :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां शास्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शास्ति उद्ग्रहणीय है, वहां इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति उक्त शास्तियों की कुल राशि होगी।

[1]**[परन्तु यह भी** कि जहां अपील, अपील प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के समक्ष फाइल की जाती है, वहां अधिकतम संदेय रकम क्रमशः पचास करोड़ रूपए और एक अरब रूपए होगी।**]**

---

1 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।